न्यायालय, सप्तम अपर जिला न्यायाधीश, नालंदा (बिहार शरीफ)।

नियमित जमानत आवेदन सं0–330/2026

रहुई (वेना) थाना काण्ड सं0–689/2025 अंतर्गत धारा–303(2), 3(5) भा. न्या. सं.

1. अनंत कुमार उर्फ आनन्द कुमार उर्फ छोटु पुत्र–टुनटुन यादव एवं
2. रवि कुमार पुत्र–स्व0 दिनेश सहनी
दोनों साकिन–खरूआरा, थाना–हरनौत (चेरो), जिला–नालंदा ।

:–आवेदकगण/अभियुक्तगण ।

बनाम

बिहार सरकार

---

25.03.2026

काराधीन अभियुक्तगण 1. अनंत कुमार उर्फ आनंद कुमार उर्फ छोटु एवं रवि कुमार की ओर से दाखिल दि. 16.03.2026 को नियमित जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार सिंह की ओर से प्रचालित किया गया । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सूचक मुकेश कुमार के लिखित आवेदन के आधार रहुई (वेना) थाना काण्ड सं0–689/2025 अंतर्गत धारा– 303(2), 3(5) भा. न्या. सं. में दिनांक–15.12. 2025 को अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया गया है, उसी से उत्पन्न है । हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580/2025 में आवेदकगण के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदकगण को अभियुक्तगण बनाया गया है और आवेदकगण को हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580/2025 से दि. 27.01.2026 को इस वाद में रिमाण्ड किया गया है, तब से कारा में निरोधित है । इस अभियुक्तगण का जमानत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नालंदा द्वारा दि. 09.03.2026 को खारिज किया गया है ।

आवेदकगण ने जमानत आवेदन के कण्डिका–02 में इस बात का उल्लेख किया है कि इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया है या ना लंबित है । . . . .
. .आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सूचक ने अपने लिखित आवेदन दि. 15.12.2025 में कहा है कि रेलवे फाटक के पास अमित कुमार के घर के आगे खुले में धान खरीद कर 264 बोरा धान

नियमित जमानत आवेदन सं0–330 / 2026

लगातार 25.03.2026

रखा था । दि. 14.12.2025 को रात्रि में सभी बोरा छल्ली लगाकर रखा था । दि. 15.12.2025 को सुबह में जब वहां गये तो उक्त छल्ली में से धान का 42 बोरा कुल वजन 50 मन गायब था । सूचक का दावा है कि अज्ञात चोर द्वारा 42 बोरा धान चोरी कर लिया गया है ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष कहे कि आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है । इस घटना से आवेदकगण को कोई वास्ता वो सरोकार नहीं है । आवेदकगण के घर से या कब्जे से किसी प्रकार का चोरी का धान बरामद नहीं हुआ है । पुलिस ने पुलिसिया धौंस में हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580 / 2025 में स्वीकारोक्ति बयान लेकर इस वाद में अभियुक्तगण बनाया गया है । आवेदकगण को हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580 / 2025 से इस वाद में दि. 27.01.2026 को इस वाद में रिमाण्ड किया गया है । आवेदकगण के विरुद्ध हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580 / 2025 के अलावा अन्य कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है । इस अभियुक्त अनंत कुमार का हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580 / 2025 में **B.P. No.104/2026** से एवं अभियुक्त रवि कुमार को **B.P. No.104/2026** दि. 25.02.2026 को प्रधान जिला न्यायाधीश,नालंदा द्वारा जमानत मंजूर किया गया है । इस वाद के सह–अभियुक्त रवि कुमार पुत्र–रामबली मिस्त्री का जमानत इसी न्यायालय द्वारा **B.P.No.214/2026** से इसी न्यायालय द्वारा दि. 18.03. 2026 को मंजूर किया गया है । आवेदक न्यायालय के नियमों एवं शर्तों को मानने के लिए तैयार है । अतः अभियुक्त को किसी भी शर्त पर जमानत पर मुक्त किया जाय ।

विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार के द्वारा जमानत का विरोध किया गया और कहा गया कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से एक और मुकदमा लंबित है । अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाय । हालांकि सह–अभियुक्त को जमानत दिये जाने पर सहमति व्यक्त किये हैं ।

उभय पक्षों को सुना । अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया । अवलोकन से यह पाया गया कि इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध धारा– 303(2), 3(5) भा. न्या. सं. में दर्ज किया गया है । सूचक ने आरोप लगाया है कि उसका 264 बोरा धान में से 42 बोरा चोरी कर लिया गया है । वाद दैनिकी के कण्डिका–24 में अभियुक्त सं0–01 आनंत कुमार

नियमित जमानत आवेदन सं0–330 / 2026

लगातार 25.03.2026

उर्फ आनंद कुमार उर्फ छोटु एवं अभियुक्त सं0–02 रवि कुमार को वाद दैनिकी के कण्डिका–25 में हरनौत (चेरो) थाना काण्ड सं0–580 / 2025 में स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है जिसमें इन आवेदकगण ने इस घटना में अपनी–अपनी संलिप्तता को बताया है । उसी के आलोक में इन आवेदकगण को इस काण्ड में अभियुक्तगण बनाया गया है और इस काण्ड में दि. 27.01.2026 को रिमाण्ड किया गया है । सम्पूर्ण काण्ड दैनिकी में अनुसंघानकर्ता द्वारा इस घटना में चोरी गया धान का बरामदगी से संबंधित कोई जप्ती सूची संलग्न नहीं किया गया है । इस वाद के सह–अभियुक्त रवि कुमार पुत्र–रामबली मिस्त्री का जमानत इसी न्यायालय द्वारा **B.P.No.214/2026** से इसी न्यायालय द्वारा दि. 18.03.2026 को मंजूर किया गया है । आवेदक दि. 27.01.2026 से कारा में निरोघित है । उपरोक्त सभी तथ्यों विशेषकर इस घटना में चोरी गया धान का जप्ती सूची काण्ड दैनिकी में दर्शित नहीं रहने, सह–अभियुक्त का जमानत दिये जाने एवं कारावधि को घ्यान में रखते हुए आवेदकगण को **शर्तों के अधीन** जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित्य प्रतीत होता है ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिथितियों के आलोक में आवेदकगण / अभियुक्तगण 1. अनंत कुमार उर्फ आनंद कुमार उर्फ छोटु एवं 2. रवि कुमार की ओर से अलग–अलग मो0–10,000 x 2 धनराशि का समान प्रतिभू बंघ पत्र विचारण न्यायालय में **निम्न शर्तों का** अंडरटेकिंग दाखिल करने पर विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है ।

**1. आवेदकगण भविष्य में इस प्रकृति के केस में संलिप्त नहीं रहेंगे ।**

(लेखापित एवं संशोधित)

( प्रकाश कुमार सिन्हा)
सप्तम अपर जिला न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहार शरीफ ।

ज्ञापांक––– / 2026 दि. .2026
प्रतिलिपि अग्रसारित :–C.J.M., Nalanda.

(प्रकाश कुमार सिन्हा)
प्र0 सप्तम अपर जिला न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहार शरीफ ।